

पत्रांक: जी. एस. टी./2022-23/फाइल सं0-509/

66

/वाणिज्य कर

कार्यालय -कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

(जी. एस. टी. अनुभाग)

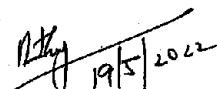
लखनऊ: दिनांक: 19 मई, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 39 की उपधारा (6) के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 61 के उपनियम (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर, माह अप्रैल, 2022 की प्ररूप जीएसटीआर- 3ब में विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को मई, 2022 के 24वें दिन तक विस्तारित करते हैं।

2- यह अधिसूचना दिनांक 17 मई, 2022 से लागू मानी जायेगी।

आज्ञा से,


(मिनिस्ती एस.)

कमिश्नर, राज्य कर,

उत्तर प्रदेश।